

कार्यालय जिला पंचायत, रायबरेली

पत्रांक- 59/सा0नि0/जि0पं0/2026-27

दिनांक-

18/05/2026

पुनःनिविदा सूचना

जिला पंचायत रायबरेली में निम्न कार्यों हेतु निविदा आमन्त्रित किया जाता है, जिसके लिये जिला पंचायत, लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के समस्त पंजीकृत टेन्डरों को सूचित किया जाता है कि उक्त निविदा निर्माण नियमावली में संशोधन के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राप्त घनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की निविदा दिनांक 25.04.2026 को 12:00 बजे तक ई-टेन्डरिंग <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध थी, परन्तु निम्न निविदा में दो ही निविदा प्राप्त हुयी है जिनकी पुनः निविदा दिनांक 20.05.2026 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 26.05.2026 तक सांय 12.00 बजे जो ऑनलाईन <http://etender.up.nic.in> पर ही सबमिट किया जायेगा, विस्तृत जानकारी कार्यालय के कार्य-दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

क्र. सं.	प्लॉट का नाम	विस्तार वर्ग	कार्य का नाम	अनुमानित लागत जीएसटी सहित (लाख में)	अनुमानित लागत जीएसटी सहित (लाख में)	अर्नेस्ट मनी की राशि रु.	टेन्डर का मूल्य रु.	कार्य शुरू करने की तारीख
1	15वां प्लॉट अनटा	सरेनी	ग्राम सभा भुलईया खेड़ा में पुत्ती लाल लोधी की दुकान से मगवन्त नगर सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य	19.60	16.61	39200	500	टेन्डर

1. निविदा दाता प्रत्येक निविदा के साथ प्रपत्र की मूल प्रति अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय में निविदा स्वीकृति से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा, ऐसा न किये जाने की दशा में निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।
2. निविदा दाता प्रत्येक निविदा की अर्नेस्ट मनी की घनराशि एवं टेण्डर फार्म का मूल्य जिला पंचायत के खाता सं० 56810100007558 आई0एफ0सी0 कोड BARB0BUPGBX बैंक का नाम बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ब्रांच जिला परिषद कम्प्लाइड रायबरेली में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम जमा करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता को निविदा के साथ रु 100.00 का स्टैम्प पेपर, रु 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर युक्त संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. ई-टेन्डरिंग के माध्यम से प्राप्त निविदायें टेण्डर समिति के समक्ष दिनांक 26.05.2026 सांय 3.00 बजे कार्यालय जिला पंचायत रायबरेली में खोली जायेगी।
5. ई-टेन्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर सबमिट करने की अन्तिम तिथि 26.05.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक है।
6. जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के अनुसार किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी जिला पंचायत रायबरेली में निहित होगा।
7. समस्त निविदायता निविदा से सम्बन्धित समस्त अभिलेख Online ही सबमिट किया जायेगा।

अभियन्ता
जिला पंचायत, रायबरेली

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, रायबरेली